153

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

—:: अधिसूचना ::—

पटना—15, दिनांक 10/12/2025

सं०—मं०मं०—01 / मंत्रिपरिषद्—06 / 2025 / 1569 / भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय—समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं —

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :—

i. यह नियमावली बिहार कार्यपालिका (संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

ii. इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

iii. यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त मानी जायेगी।

2.(क) बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय—समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक—45 के बाद एतद् द्वारा नया क्रमांक—46 में **"युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग"** जोड़ा जायेगा तथा उसके अधीन निम्नांकित कार्य आवंटित किये जायेंगे :—

1. रोजगार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन एवं नीतियों का निर्माण
2. रोजगार से संबंधित अधिनियम / नियमावली सृजन
3. रोजगार के लिए निबंधन एवं रोजगार निदेशालय का गठन
4. रोजगार से संबंधित e-Portal का निर्माण एवं संचालन
5. रोजगार मेला का आयोजन
6. सभी प्रकार की निजी कम्पनियों / उद्योगों / प्रतिष्ठानों एवं एम0एस0एम0ई0 इकाइयों के साथ रोजगार हेतु सम्पर्क
7. विशेष नियोजन निदेशालय
8. युवाओं का प्रक्षेत्रवार (Sectorwise) व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना
9. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI)
10. केन्द्र सरकार की कौशल विकास हेतु चल रही विभिन्न योजनाओं से समन्वय
11. अप्रेन्टिस—शिप योजनाएँ लागू करना एवं उद्योग आधारित प्रशिक्षण

12. विभिन्न विभागों यथा श्रम संसाधन, शिक्षा, उद्योग, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा तथा ग्रामीण विकास विभाग इत्यादि से रोजगार सृजन एवं कौशल विकास से संबंधित चलायी जा रही योजनाओं के साथ समन्वय
13. बिहार कौशल विकास मिशन से संबंधित कार्य
14. राष्ट्रीय कैडेट कोर/राष्ट्रीय सेवा योजना/ राष्ट्रीय युवा वाहिनी/नेहरू युवा केन्द्र/बिहार युवा आयोग इत्यादि से संबंधित कार्य
15. युवा प्रतिभा की पहचान एव पोषण
16. युवा कल्याण से संबंधित सभी कार्य
17. विभाग में नियोजित सभी कर्मियों का नियंत्रण
18. विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार
19. विभाग में गठित सभी बोर्ड, निगम एवं संस्थाओं से संबंधित कार्य तथा प्रशासनिक नियंत्रण

(ख) बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक–46 के बाद एतद् द्वारा नया क्रमांक–47 में **"उच्च शिक्षा विभाग"** जोड़ा जायेगा तथा उसके अधीन निम्नांकित कार्य आवंटित किये जायेंगे :–

1. विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा एवं उससे संबंधित अधिनियमों का प्रशासन
2. विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना
3. सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में विश्वविद्यालय स्तर का शोध कार्य करने वाली संस्थाओं यथा के०पी०जायसवाल शोध संस्थान, ए०एन० सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन संस्थान, ललित नारायण मिश्र प्रबंधन संस्थान आदि का प्रशासनिक नियंत्रण
4. विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक परियोजनाओं के लिये न्यास एवं पुण्यार्थ अक्षय निधियों का प्रशासन
5. विश्वविद्यालय से संबंधित विशेष अध्ययन एवं शोध की अभिवृद्धि
6. उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, शोध संस्थाओं तथा विज्ञान संस्थाओं में स्तरों का समन्वय और उनका निर्धारण
7. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन)
8. विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के संबंध में नीति निर्धारण
9. विभाग के अधीनस्थ सेवा करने वाले सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण
10. विभाग के दखल एवं अधिकार में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार
11. विभाग से संबंधित शैक्षणिक अधिनियमों का प्रभार

12. भाषायी अकादमियों यथा संस्कृत अकादमी, प्राकृत अकादमी, पाली अकादमी, मैथिली अकादमी, मगही अकादमी, भोजपुरी अकादमी, बांग्ला अकादमी का गठन एवं उनका प्रशासनिक नियंत्रण
13. बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्
14. बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
15. शिक्षक–शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण
16. विधि, प्रबंधन, प्रायोगिकी आदि विषयों में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करनेवाले संस्थाओं का गठन, प्रबंधन एवं प्रशासन
17. दूरस्थ शिक्षा

(ग) बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक–47 के बाद एतद् द्वारा नया क्रमांक–48 में **"सिविल विमानन विभाग"** जोड़ा जायेगा तथा उसके अधीन निम्नांकित कार्य आवंटित किये जायेंगे :–

1. सरकारी वायुयान, हेलिकॉप्टर इत्यादि की खरीदारी, संधारण तथा उनकी उड़ान से संबंधित कार्य
2. राज्य क्षेत्र में विकसित होने वाले वायु परिवहन का विकास, विनियमन और संगठन
3. राज्य सरकार के अधीन सभी एयरपोर्ट एवं सभी हेलिपोर्ट का विकास, संचालन एवं नियंत्रण
4. भारत सरकार के अधीन सभी एयरपोर्ट के संबंध में समन्वय
5. बिहार उड्डयन संस्थान
6. वैमानिक प्रशिक्षण तथा उसका विनियमन
7. विभाग में नियोजित सभी कर्मियों का नियंत्रण
8. विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार
9. विभाग में गठित सभी बोर्ड, निगम एवं संस्थाओं से संबंधित कार्य तथा प्रशासनिक नियंत्रण

(घ) नये विभागों के गठन के फलस्वरूप बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में अंकित विभागों की कुल क्रमांक–44 के स्थान पर क्रमांक 48 हो जायेगा। नये विभागों का क्रम निम्नवत होगा :–

क्रमांक–45– खेल विभाग
क्रमांक–46– युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
क्रमांक–47– उच्च शिक्षा विभाग
क्रमांक–48– सिविल विमानन विभाग

(ङ) (i) बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक–01 पर अंकित **"मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग"** को आवंटित कार्यों की सूची में से नये विभागों के गठन के फलस्वरूप पूर्व आवंटित कार्यों को विलोपित करते हुए अद्यतन आवंटित कार्य निम्नवत होंगे :–

(क) मंत्रिमंडल सचिवालय

1. मंत्रिपरिषद् की बैठक विषयक कार्य।
2. सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग से संबंधित पत्रों से भिन्न मुख्य सचिव को सम्बोधित पत्रों का अनुश्रवण एवं अनुसांगिक कार्रवाई।
3. सरकारी विभागों के मासिक कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदनों का समन्वय।
4. विकास आयुक्त द्वारा निबटाये जाने वाले विषयों से भिन्न सचिवालय स्तर पर अन्तर्विभागीय समन्वय।
5. कार्यपालिका नियमावली में विनिहित मुख्य सचिव के कृत्य और कर्त्तव्य संबंधी कार्य तथा मुख्य सचिव की स्थापना।
6. कार्यपालिका नियमावली का गठन, संशोधन तथा व्याख्या।
7. राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित संदर्भ।
8. राज्यपाल सचिवालय संबंधी प्रशासनिक विषय।
9. मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनके बीच विभागों का आवंटन।
10. मंत्रियों के आप्त सचिवों एवं अवर आप्त सचिवों की नियुक्ति।
11. मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों, संसदीय सचिवों की परिलब्धियाँ।
12. मुख्यमंत्री सचिवालय संबंधी प्रशासनिक विषय।
13. राज्य कर्मियों के सेवा संघों की मान्यता।
14. भारत सरकार अथवा अन्य राज्यों के मंत्रियों, उच्च पदाधिकारियों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के आतिथ्य सम्बन्धी कार्य।
15. आतिथ्य सत्कार तथा उससे संबंधित स्टाफ कारों की व्यवस्था एवं उनका संधारण।
16. राजचिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रध्वज।
17. राज्य समारोहों का आयोजन।
18. गणतंत्र दिवस एवं स्वाधीनता दिवस समारोहों का आयोजन।
19. राज्य अन्त्येष्टि।
20. राज्य अतिथिशाला (पटना अतिथिगृह में अति महान आगन्तुक कक्ष के साथ)
21. बिहार भवन, बिहार निवास एवं बिहार सदन।
22. सचिवालय ग्रन्थागार।
23. राज्य अभिलेखागार

24. बिहार राज्य नागरिक परिषद्।

(क) मुख्यमंत्री के परामर्शी की नियुक्ति।

(ख) मंत्रिमंडल की स्थायी समितियाँ, मंत्रिपरिषदीय समितियाँ, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति एवं मंत्रियों के समूह का गठन।

(ख) राजभाषा

25. राज्य सरकार की भाषा नीति का निर्धारण, कार्यान्वयन एवं समन्वय संबंधी कार्य।

26. गजेटियर तथा कानून के अनुवाद कार्य सहित राजकीय साहित्य का हिन्दी अनुवाद।

27. हिन्दी में सरकारी काम–काज प्रोत्साहित करने के लिये शब्दावली तथा मार्ग दर्शक साहित्य की रचना, संकलन एवं प्रकाशन।

28. सरकारी सेवाओं में नियुक्ति, सम्पुष्टि तथा प्रोन्नति के लिये ली जाने वाली परीक्षाओं में राजभाषा हिन्दी की स्थिति का निर्धारण।

29. सरकारी सेवकों के लिये हिन्दी प्रशिक्षण तथा परीक्षा का संचालन।

30. सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण कार्य।

31. बिहार राज्य हिन्दी प्रगति समिति तथा अन्य परामर्शदातृ समितियाँ।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन

32. 20 सूत्री कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन संबंधी समन्वय और मोनिटरिंग।

33. सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कार्यक्रमों का समन्वय तथा अनुश्रवण।

(ii) बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक–22 पर अंकित **"शिक्षा विभाग"** को आवंटित कार्यों की सूची को नये विभागों के गठन के फलस्वरूप विलोपित करते हुए अद्यतन आवंटित कार्य निम्नवत होंगे :–

1. प्रारंभिक शिक्षा (8वीं स्तर तक)
2. सेकेन्ड्री शिक्षा (12वीं स्तर तक)
3. बिहार इन्टरमीडियट शिक्षा परिषद्
4. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
5. जन शिक्षा
6. कौशल निर्माण एवं व्यावसायिक शिक्षा
7. जन पुस्तकालय (अनुमण्डलीय, जिला प्रमंडल एवं राज्य पुस्तकालय सहित)
8. विभाग के अन्तर्गत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्त्तों इत्यादि का निर्धारण तथा नियंत्रण
9. पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन
10. विद्यालय में मध्याह्न भोजन

11. सेकेन्ड्री, प्राथमिक, वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित सरकारी भवनों का प्रशासनिक प्रभार
12. संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं मदरसा बोर्ड
13. प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रशासन
14. राज्य शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्

(iii) बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची तथा सचिवालय विभागों के बीच कार्यों के वर्गीकरण और वितरण की सूची के क्रमांक–31 पर अंकित **"पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग"** का नाम **"डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग"** होगा।

(iv) बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची तथा सचिवालय विभागों के बीच कार्यों के वर्गीकरण और वितरण की सूची के क्रमांक–39 पर अंकित **"कला, संस्कृति एवं युवा विभाग"** का नाम **"कला एवं संस्कृति विभाग"** होगा तथा इसे आवंटित कार्यों की सूची को नये विभागों के गठन के फलस्वरूप विलोपित करते हुए अद्यतन आवंटित कार्य निम्नवत होंगे :–

1. कला एवं संस्कृति के विकास से संबंधित सभी कार्य
2. प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष जिन्हें संसद ने विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया हो तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष का संरक्षण एवं विकास
3. संग्रहालय एवं ऐसी अन्य संस्थाएं
4. कला एवं संस्कृति से संबंधित सभी संस्थाओं जैसे, भारतीय नृत्य कला मंदिर, ललित कला अकादमी, प्रेमचन्द रंगशाला, संगीत–नाटक अकादमी इत्यादि का प्रशासी नियंत्रण
5. विभाग से संबंधित अधिनियमों का प्रशासनिक प्रभार
6. विभागीय भवनों का प्रशासनिक प्रभार
7. विभाग के अंतर्गत नियोजित पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति का विनियमन एवं उनकी सेवा शर्त आदि का निर्धारण एवं प्रशासनिक नियंत्रण
8 बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम

(v) बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची तथा सचिवालय विभागों के बीच कार्यों के वर्गीकरण और वितरण की सूची के क्रमांक–41 पर अंकित **"श्रम संसाधन विभाग"** का नाम **"श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग"** होगा तथा नये विभागों के गठन के फलस्वरूप इसे आवंटित कार्यों की सूची को नये विभागों के गठन के फलस्वरूप विलोपित करते हुए अद्यतन आवंटित कार्य निम्नवत होंगे :–

1. डाक और तार, टेलीफोन और बेतार
2. खदानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये श्रम एवं सुरक्षा उपायों का विनियमन

147

3. उत्प्रवासन, अप्रवासन तथा अन्तर राज्य प्रवासन
4. श्रम मजदूरी
5. श्रम एवं श्रमिकों से संबंधित सभी प्रकार के आँकड़ों का संकलन
6. श्रमिक संघ तथा श्रम आयुक्त के कार्यालय से संबंधित सभी कार्य
7. हड़ताल तथा औद्योगिक और श्रमिक विवाद
8. श्रम कल्याण, जिसमें काम की शर्त्तें, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कामगार क्षतिपूर्ति, अशक्तता पेंशन तथा प्रसूति सुविधा भी शामिल है।
9. वाष्पित्र (ब्वॉयलर)
10. कर्मचारी राज्य बीमा योजना
11. सचिवालय उपाहार गृह
12. विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण
13. विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का नियंत्रण
14. श्रमिकों के कल्याण से संबंधित योजनायें

3. नये विभागों के गठन के फलस्वरूप इनके अधीन सभी पदों का सृजन/उत्क्रमण/अवक्रमण/प्रत्यर्पण की कार्रवाई सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित विभागों के समन्वय से किया जाएगा एवं बजट का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा तथा भवन एवं कार्यालय की व्यवस्था भवन निर्माण विभाग के द्वारा की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/12/2025

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद्–06/2025/...1569....पटना–15, दिनांक 10/12/2025

प्रतिलिपि:– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार/अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार/सभी माननीय मंत्रियों के आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/2025

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

146

ज्ञापांक– मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद्–06/2025/ 569 पटना–15, दिनांक 10/12/2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, वित्त विभाग (ई गजट शाखा), बिहार, पटना (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी सहित)/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए।

10/12/2025

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के अपर मुख्य सचिव